ार : पर्यावरण
RAM : PARYAVARAN

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD LUCKNOW
क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Office

न्दर्भ सं०
ef. No. 1210/NOC-2262A/19

दिनांक
Dated : 18/7/19 20

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,(अना०प्र०पत्र)/
अपर नगर मजिस्ट्रेट (पंचम)
कार्यालय जिलाधिकारी
लखनऊ।

विषयः मैसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि० द्वारा खसरा संख्या–268 ग्राम–धावापुर,(बनी– मोहनलालगंज रोड) जनपद–लखनऊ पर पेट्रोल/डीजल के रिटेल आउटलेट हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्रांक संख्या–332/आब०लि०/एन०ओ०सी०/2019 दिनांक 01/05/2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के माध्यम से मैसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि० द्वारा खसरा संख्या–268 ग्राम–धावापुर,(बनी– मोहनलालगंज रोड) जनपद–लखनऊ पर पेट्रोल/डीजल के रिटेल आउटलेट की स्थापना के लिए अनापत्ति हेतु स्पष्ट अभिमत की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि प्रकरण के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया की उक्त वर्णित प्रोजेक्ट मैसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि० द्वारा खसरा संख्या–268 ग्राम–धावापुर,(बनी– मोहनलालगंज रोड) जनपद–लखनऊ पर पेट्रोल/डीजल के रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु नियमानुसार (सुरक्षा मानको की दृष्टि से) सुरक्षित भूमिगत टैंक की स्थापना किये जाने की शर्त के साथ आप द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बोर्ड को कोई आपत्ति नही है। उक्त आख्या वांछित अनुमतियों को प्रभावित नही करेगा। पेट्रोल पम्प पर यदि जनरेटर की स्थापना की जाती है तो ध्वनि/वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु एकास्टिक इनक्लोजर लगाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त हेतु राज्य बोर्ड से पृथक रूप से अनापत्ति/सहमति प्राप्त किया जाना भी अनिवार्य होगा।

भवदीय,

(डा० राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–1.मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त–5, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2 प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

For And on behalf of
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD.
Attorney
17/9/19